यालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0) ....

पीठासीन अधिकारी : श्री के0 आर0 खोड़, आर0ए0एस0

संख्या 115 / 2017

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2017

उनवान

....

.... – प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

....

.... – विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :– ....

निर्णय दिनांक 2/6/17

प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ के ग्राम .... तहसील शाहपुरा / ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर ....

.... कुल किता 6 .... रकबा 2.30 .... हैक्टयर का प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ एवं ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम .... संवत 2072 ...... से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा .... मे स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी / ~~संयुक्त खातेदारी~~ की आराजीयात किता ...6..... रकबा 2.30 .... हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 450/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा / ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2/6/17 .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(के0आर खोड़)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा / ——— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)